

निगरानी प्र. क्रमांक/2015

प्रस्तुती दिनांक 31.08.2015

(79)

दिनांक 31-8-15 को

1. महेश श्रीवास्तव

170 इलाक़ा इलाहाबाद

व
31-8-15

50

श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष

निग/2873/PP/15

हेमन्त पिता बालमुकुन्द चौकसे,

उम्र-50 वर्ष, व्यवसाय-धंधा

निवासी - जी.जी.-25, स्कीम नं. 54

विजय नगर इंदौर म.प्र.

.... प्रार्थी

विरुद्ध

1. गगन पिता जगदीशप्रसाद पाराशर

उम्र-30 वर्ष, व्यवसाय-धंधा

निवासी - शीलमार पार्स पिपल्याहाना इंदौर म.प्र.

2. विनोद पिता रामलाल गर्ग

उम्र-50 वर्ष, व्यवसाय-धंधा

निवासी - 302, मूलथान कोठी 1/1, ओल्ड पलासिया,

बड़वानी प्लाजा के सामने, इंदौर म.प्र.

.... प्रतिप्रार्थी

निगरानी ज्ञापन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता 1959

प्रार्थी तर्फे नम्र निवेदन है कि :-

श्रीमान अपर तहसीलदार टप्पा सिमरोल तहसील महू जिला इंदौर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/अ-6/13-14 में दिनांक 26.08.2015 को पारित आदेश से व्यथित एवं क्षुब्ध होकर प्रार्थी निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत करता है कि :-

प्रकरण के तथ्य

प्रतिप्रार्थी क्रमांक - 1 ने ग्राम कुलथाना तहसील महू जिला इंदौर पटवारी हल्का नंबर 28 (पुराना नं. 29) खसरा नं. 111 रकबा 7.810 हेक्टेयर प्रतिप्रार्थी क्रमांक -

अविस्त 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-2823-PBR/15 जिला उदौर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिगाथकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|---|
| 14.12.2016 | <p>आवेदक की ओर से श्री चक्रेश श्रीवास्तव आयोगी एवं अमावेदक गण की ओर से श्री अशोक यादव आयोगी उपस्थित। उभय पक्ष के आयोगीयों के तर्कों को सुना गया। प्रकरण - तहसीलदार द्वारा आवेदक को सुनवाई एवं खाश्या का अवसर नहीं दिया जा रहा है। अतः तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि वे आवेदक को सुनवाई एवं खाश्या का अवसर भी देते हुये प्रकरण का निराकरण करें। यह प्रकरण समाप्त किया गया है।</p> <p style="text-align: right;">अध्याक्ष</p> | <p style="text-align: right;">B V</p> |

[Handwritten signature]